बिहार सरकार

कृषि विभाग

टिड्डी दलों के नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

टिड्डी दलों के आक्रमण/प्रकोप की स्थिति को देखते हुये बिहार सरकार कृषि विभाग में हाई एलर्ट करते हुये इनके नियंत्रण के निर्देश जारी किये हैं।

- टिड्डी के प्रकोप से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुँचता है क्योंकि इनकी संख्या लाखों में होती है।
- टिड्डी दल के प्रकोप की दशा में एक साथ इकठ्ठा होकर ढ़ोल, नगाड़ों, टीन के डिब्बों, थालियों आदि को बजाते हुए शोर मचायें, शोर से टिड्डी दल आस-पास के खेतों में आक्रमण नहीं कर पायेंगे, अगर पटाखा हो तो पटाखे का भी व्यवहार शोर के लिए किया जा सकता है।
- टिड्डी दल के प्रकोप की स्थिति में खरपतवार/घास को जलाकर धुआँ करने से भी टिड्डी दल भाग जाता है।
- टिड्डी दल धतुरा, अकवन एवं नीम के पत्तों को नहीं खाता है। अत: किसान भाई इन पौधों का काढ़ा बनाकर रखें तथा प्रतिकूल परिस्थिति में इसका छिड़काव अविलंब अपने फसलों पर कर फसल सुरक्षा कर सकते है।
- टिड्डी दल के प्रकोप से पूर्व हीं अनुशंसित रसायनों तथा स्प्रेयर्स मशीन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
- टिड्डी दल का प्रकोप ज्योंहि फसलों पर दिखाई पड़े तो त्वरित रूप से निम्नांकित कीटनाशियों का छिड़काव किया जा सकता है।
  - लैम्बड़ासायहेलोथ्रीन 5 ई0सी0 की 10 मि0ली0 मात्रा/लीटर पानी में या
  - क्लोरपायरीफॉस 20 ई0सी0 की 2.5 से 3 मि0ली0 मात्रा/लीटर पानी में या
  - फिपरोनिल 5 ई0सी0 की 1 मि0ली0 मात्रा/लीटर पानी में या
  - डेल्टामेंथ्रिन 2.8 ई0सी0 की 1.0 से 1.5 मि0ली0 मात्रा/लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है।
- टिड्डी दल प्राय: दिन डूबने के समय किसी न किसी पेड़/पौंधों पर दिन निकलने तक आश्रय लेती है। अत: अनुशंसित रसायन के छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त समय रात्रि के 11 बजे से सुबह के सूर्योदय होने तक का है, इस अवधि में छिड़काव करना काफी प्रभावी होता है।
- जिला अंतर्गत किसी पंचायत/प्रखंड में टिड्डी दल के प्रकोप की जानकारी मिलने पर अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक तथा किसान सलाहकार को इसकी सूचना अविलंब दें।
- जिला स्तर पर सहायक निदेशक, पौंधा संरक्षण, मधेपुरा (7667002969) या जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को भी सूचना दे सकते है।

निवेदक

जिला कृषि पदाधिकारी
मधेपुरा